



भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
 MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
 Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
 BHOPAL – 462016 (M.P.)  
 TEL: 0755-2466525 E-mail: [rowz.bpl-mef@nic.in](mailto:rowz.bpl-mef@nic.in)



क्रमांक: 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ/  
 प्रति,

दिनांक : *As per e-signed.*

प्रधान सचिव (वन)  
 मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
 वल्लभ भवन, भोपाल  
 (मध्यप्रदेश) ।

**विषय:** बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढ़रामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/150074/2021).

**संदर्भ:** 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ दिनांक 08/07/2025.  
 2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1211/E file-0107/2025 दिनांक 05/09/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रकरण पर किसी भी तरह से एकमत की स्थिति नहीं बन पा रही है। रेलवे विभाग द्वारा जिस क्षेत्र को अपने स्वामित्व का बताकर diversion में शामिल नहीं किया गया है, उस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर ना ही रेलवे विभाग द्वारा कोई सटीक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और वन विभाग का कहना है कि वह क्षेत्र वन अभिलेखों में रेल्वे के स्वामित्व का क्षेत्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त वन मण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल द्वारा FCA, १९८० के violation पर विस्तृत action taken report भी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है।

(राजेश दराडे)

सहा. वनमहानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।